बेरोजगारी की समस्या

2003. **डा० अबरार अहमद खान:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में रोजगारों की संख्या कितनी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान बेरोजगारी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है, ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगारों की संख्या कितनी है और अर्द्ध बेरोजगारों की संख्या कितनी है, इन सभी बेरोजगार व्यक्तियों में से, 35 वर्ष से कम आयु वाले बेरोजगारों की संख्या कितनी है और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है, राजस्थान के संबंध में पृथक ब्यौरा दें ;

(ख) क्या इन बेरोजगारों को कोई बेरोजगारी भत्ता अथवा कोई अन्य सहायता दी जायेगी और सरकार उनके कल्याण के लिये क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) क्या इन शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रित रखने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान : (क) से(ग) अद्यतन: उपलब्ध सूचना, राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संगठन द्वारा अपने 43वें दौर (जुलाई 1987 जून, 1988) के दौरान रोजगार और बेरोजगारी पर किये गये राष्ट्र-व्यापी नमूना सर्वेक्षण के अधीन किये गये सर्वेक्षण द्वारा एकत्र की गई सूचना है । इस स्रोत के अनुसार प्रधान और गौण दोनों प्रकार के कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुये, पांच वर्ष और ऊपर वाले आयु वर्ग में सामान्यत: बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्य 1-1-1988 की स्थिति के अनुसार 93 लाख थी, जिनसे में 53 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और 40 लाख शहरी क्षेत्रों में थे ।

शैक्षिक स्तर पर बेरोज़गारी के आंकड़े, जोकि 15 वर्ष और ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों के लिये उपलब्ध हैं, नीचे दर्शाये गये हैं:-

शैक्षिक स्तर	संख्या (लाखों में)
(1) माध्यमिक और ऊपर	37
(2) माध्यमिक स्तर तक शिक्षित	33
(3) अशिक्षित	18
योग :	88

इनमें से 77 लाख व्यक्ति 15-34 आयु वर्ग में होने का अनुमान लगाया गया था ।

राजस्थान में, पांच वर्ष और ऊपर की आयु वाले बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 365 हजार थी । शैक्षिक स्तर पर इन आंकड़ों का विवरण उपलब्ध नहीं है ।

सभी नागरिकों को किसी तरह की रोजगार गारन्टी देने के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है । आठवीं योजना के दृष्टिकोण में 2000 ई. सन् तक पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के उद्देश्य से रोजगार पर मुख्य बल दिया गया है ।

सवाई माधोपुर होकर गुजरने वाली बम्बई को जाने वाली रेलगाड़ियां

2004. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से बम्बई को जाने वाली उन रेलगाड़ियों के नाम क्या-क्या

हैं जो सवाई माधोपुर होकर गुजरती हैं और उनके वहां से गुजरने का समय क्या है तथा उनमें से कौन-कौन सी रेलगाड़ी सवाई माधोपुर रुकती है और ये रेलगाड़ियां कितने वर्षों से चल रही हैं तथा इस स्टॉप पर रुकती हैं और इस लाइन पर चलने वाली नई रेलगाड़ी का कब से सवाई माधोपुर में स्टॉप नहीं है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मीटर लाइन तथा बड़ी रेल लाइनों का जंक्शन होने के कारण सवाई माधोपुर को "गेटवे ऑफ राजस्थान" कहा जाता है; और

(ग) कोटा से दिल्ली के लिए नई रेलगाड़ी कब प्रारंभ की जाएगी जिसे कि मई, 1990 में प्रारंभ किया जाना था और क्या यह रेलगाड़ी सवाई माधोपुर भी रुकेगी ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) सवाई माधोपुर जं० जयपुर, लुहारु और बीकानेर के लिये मीटर लाइन की गाड़ियों सहित बम्बई सेंट्रल-नई दिल्ली बड़ी लाइन खंड पर है ।

(ग) फिलहाल, कोटा और दिल्ली के बीच गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली में हरिजन सेवक संघ को अनुदान दिया जाना

2005. **श्री राधा किशन मालवीय** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मला उठाने वालों की कष्ट मुक्ति के लिए तथा अस्पृश्यता निवारण के लिए दिल्ली में हरिजन सेवक संघ को अनुदान देती आ रही थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने अप्रैल, 1990 से हरिजन सेवक संघ को अनुदान देना बंद कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) हरिजन सेवक संघ, दिल्ली अन्य स्वैच्छिक निकायों की भांति भंगी कष्ट मुक्ति कार्य तथा अस्पृश्यता निवारण की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1989-90 तक सहायक अनुदान पा रहा था ।

(ख) तथा (ग) 1990–91 से प्रश्नगत दो कार्यक्रमों के लिए सहायक अनुदान बंद करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि यह मंत्रालय सफाई कर्मचारियों की मुक्ति तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन तन्त्र संबंधी केन्द्र प्रायोजित योजाएं पर्याप्त पैमाने पर कार्यान्वित कर रहा है । प्रश्नगत दोनों कार्यक्रम शैक्षिक स्वरुप के और इनसे कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ सका था । अतः इन दोनों कार्यक्रमों के लिए सभी स्वैच्छिक निकायों को सहायक अनुदान बंद कर दिया गया है ।

Allotment of flats by Anandlok Co-op. Group Housing Society

2006. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Anand Lok Co-operative Group Housing Society conducted allotment of flats to its members in Juy, 1985 violating Directives dated 31st May, 1984 issued by Registrar, Cooperative Societies, Delhi in view of the fact that 70 per cent constrution of each flat was not complete;